

फॉर्म-12

[नियम 77(2) देखिए]

सरकारी सेवक की मृत्यु पर मृत्यु उपदान दिए जाने के लिए आवेदन का फॉर्म

(प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग-अलग भरा जाए और अवयस्क दावेदार की दशा में यह फॉर्म उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा जाए। एक से अधिक अवयस्कों की दशा में संरक्षक को उनकी ओर से एक ही फॉर्म में उपदान का दावा करना चाहिए)

1. (i) मृत सरकारी सेवक का नाम जिसकी बाबत उपदान का दावा किया जा रहा है

(ii) सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख

(iii) कार्यालय/विभाग/मंत्रालय जिसमें मृत व्यक्ति ने अंतिम सेवा की थी

2. दावेदार (रों) का नाम और अन्य ब्यौरे

क्रमांक	नाम	जन्मतिथि	मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध	डाक पता

3. यदि दावेदार (रों) अवयस्क हैं तो संरक्षक का ब्यौरा

क्रमांक	नाम	जन्मतिथि	मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध	डाक पता

खाता संख्या के साथ बैंक का विवरण,

4. ई-संदाय/ईसीएस के लिए आईएफएससी कोड

दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर/

अंगूठे के निशान

संलग्नक-

- (i) मृत्यु प्रमाणपत्र
- (ii) जन्म का प्रमाणपत्र (अवयस्क व्यक्तियों की दशा में)
- (iii) दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुली के नमूने